कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

पत्रांक– 2069 /प्रवर्तन/बैटरी चालित वाहन/2015 दिनांक 22 जून, 2015

विज्ञप्ति

आप सभी अवगत है कि किसी भी मोटर वाहन निर्माता/डीलर के द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय के अनुमोदन के बिना मोटर वाहन का विक्रय नहीं किया जा सकता और बिना पंजीकृत किये हुए वाहन का परिदान (Delivery) केता को नहीं किया जा सकता। किसी भी मोटर वाहन को बिना पंजीयन संचालित नहीं किया जा सकता। व्यवसायिक वाहन की दशा में वाहन पर वैध परमिट/फिटनेस/बीमा के साथ कर जमा होना भी अनिवार्य है।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या–157/2013 में ई–रिक्शा मोटर वाहन के सम्बन्ध में दिनांक 03–03–2015 को ये आदेश पारित किये हैं कि:–

" **सभी मोटर यान डीलरों द्वारा सी एम वी आर –42 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी मोटर यान डीलर के द्वारा बिना पंजीयन कराये हुए तिपहिया ई–रिक्शा का परिदान केता को न किया जाए तथा बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना कर जमा कराये, बिना बीमा एंव बिना वैध प्रपत्रों के ई–रिक्शाओं का संचालन पूर्णतया बन्द किया जाए।** "

सी एम वी आर 1989 के नियम–2 (गख) के अनुसार ई–रिक्शा से निम्न प्रकार का वाहन अभिप्रेत है–

'(गख) "ई–रिक्शा" से तीन पहिये वाला विशेष प्रयोजन बैटरी प्रचालित यान अभिप्रेत है और जिससे सवारियों को भाड़े या पारिश्रमिक पर ढोने हेतु अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रबन्ध करना आशयित है, परन्तु,

(i) ऐसा यान चार से अनधिक सवारियों, जिसमें चालक सम्मिलित नहीं है, और कुल चालीस किलोग्राम से अनधिक सामान को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित है ;

(ii) इसकी मोटर की शक्ति 2000 वॉट से अधिक नहीं है ;

(iii) यान की अधिकतम गति पच्चीस किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है।'

पूर्व में भी बैटरी चालित ई–रिक्शा के सम्बन्ध में जनसामान्य के सूचनार्थ विज्ञप्ति संख्या–2365 प्रवर्तन/बैटरी रिक्शा/2014 दिनांक 19–07–2014 को प्रकाशित करते हुए जन साधारण को सूचित किया गया है कि बिना पंजीयन, बिना अनुमोदन कराये हुए तिपहिया ई–रिक्शा वाहनों का संचालन अवैध है और ऐसे संचालित वाहनों के विरूद्व कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में **पुनः** जनसाधारण/बैटरी चालित रिक्शा निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं/स्वामियों/चालकों को सूचित किया जाता है कि –

1– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–42 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कोई भी मोटर यान डीलर /निर्माता व्यवसायिक प्रमाण–पत्र , टाईप एप्रूवल एजेंसी द्वारा

वाहन को जारी अनुमोदन प्रमाण–पत्र एंव परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा मॉडल अनुमोदन के बिना किसी तिपहिया ई–रिक्शा मोटरयान का विक्रय नहीं करेगा।

वर्तमान में ई–रिक्शा मोटर वाहनों के 15 डीलर्स द्वारा पंजीयन अनुमोदन के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवेदन किया जा चुका है जिन पर कार्यवाही गतिमान है। अन्य कोई मोटरयान डीलर/निर्माता जो आवेदन करने के इच्छुक हों, वे भी पंजीयन अनुमोदन हेतु विहित प्रपत्रों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

2– बिना स्थायी/अस्थायी पंजीयन कराये हुए तिपहिया ई–रिक्शा वाहन का परिदान क्रेता को नहीं करेगा।

3– बिना पंजीयन कराये हुए एंव बिना वैध प्रपत्रों के यथा परमिट, बीमा, फिटनेस, कर जमा का प्रमाण एंव ई–रिक्शा हेतु ड्राइविंग लाइसेंस ई–रिक्शा वाहन का संचालन गैर कानूनी है एंव दण्डनीय अपराध है।

4– जो वाहन बीमा से आच्छादित नहीं है उनके दुर्घटनाग्रस्त होने पर जान माल के नुकसान होने पर प्रभावित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की राहत राशि दिया जाना सम्भव नहीं हो पाता।

5– उपरोक्त प्रकार के गैर कानूनी रूप से संचालित पाये जाने पर अवैध ई–रिक्शा के विरूद्व कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु सभी प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

अतः अवैधानिक रूप से संचालित सभी ई–रिक्शा तिपहिया वाहनों का संचालन तत्काल प्रभाव से पूर्णतया बन्द किया जाए।

(एस0 रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।